राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/5347 दिनांकः25/03/2023

आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

विषयः–"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने बाबत्।

इंदिरा गाधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कार्यालय आदेश क्रमाकः 1348 दिनांक 10.02.2023 की निरन्तरता में जयपुर जिले की निकायों का कार्यशाला कार्यक्रम **दिनांक 28.03.2023 को निदेशालय जयपुर के स्थान पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के मीटिंग हॉल में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।** कार्यशाला में निदेशालय से परियोजना निदेशक (IRGY-U), अतिरिक्त परियोजना निदेशक, मुख्य लेखाधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा पोर्टल एवं योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जयपुर जिले की निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी या इनके प्रतिनिधि, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, **नवनियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर** उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

अतः आप इस कार्यशाला हेतु पर्याप्त बैठक व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन, माईक एवं इंटरनेट कनेक्टीविटी इत्यादि की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करावें, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिकों हेतु जलपान एवं भोजन व्यवस्था का भुगतान नगर निगम जयपुर हैरिटेज को IRGY-U के प्रशासनिक मद से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/5348-5370 दिनांकः25/03/2023

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक (IRGY-U)/अतिरिक्त परियोजना निदेशक/वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाकर प्रशिक्षण दिये जाने बाबत्।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यशाला में आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त नगरीय निकायों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका जयपुर जिला राजस्थान को पालनार्थ।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hridesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2023.03.25 19:06:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3480910